

50/23 आज यह पत्रावली कार्यालय रिपोर्ट
होकर पेश हुई। मूल वाद अदम हाजरी
अदम परनी में खारिज है। युक्त है। अतः
प्रार्थना पत्र 212 RT ACT को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना
पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्तर
पर खारिज दिया जाता है। प्रार्थना पत्र मूल
वाद के साथ के साथ संलग्न रहे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से दम होकर
वापिस फफत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०